कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248005

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 15 / 2024–25 / 64 दिनांकः 17 जनवरी, 2026

चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त 73 पदों के सापेक्ष अनर्ह / अभियुक्तियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों का निस्तारण सूची

कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 15 / 2024–25 / 749, दिनांक 19 अक्टूबर 2024 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकज कॉलेज में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त 73 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।

कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 15 / 2024–25 / 958, दिनांक– 13 दिसम्बर 2025 द्वारा **अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया गया है या अर्हता धारित नहीं करते हैं या वांछित अभिलेख मूल रुप में उपलब्ध नहीं कराये हैं या दावित श्रेणी–उपश्रेणी का वैध प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों या अन्य अभ्युक्ति वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई थी।** ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी अनर्हता / अभियुक्ति के सापेक्ष प्रत्यावेदन पुष्ट साक्ष्य सहित दिनांक 27 दिसम्बर 2025 (सांय 05:00 बजे) तक बोर्ड कार्यालय में ई–मेल आई०डी० पर अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं वांछित अभिलेखों पर बोर्ड द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त ऐसे अभ्यर्थी, जिनके वांछित प्रमाण पत्र / अभिलेख पूर्ण पाये गये हैं, उन्हें अभिलेख सत्यापन / साक्षात्कार हेतु अर्ह सूची में सम्मिलित किया गया है तथा शेष अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के पुष्ट न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने / अपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने तथा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत न करने पर बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया है। ऐसे अनर्ह किये गये अभ्यर्थियों का विवरण तालिका संलग्न कर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

ह0 / –
(प्रदीप जोशी),
सचिव।

फार्मासिस्ट (भेषज) परीक्षा 2024 (चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत)
प्रत्यावेदन निस्तारण तालिका

S.No.	Roll Number	Candidate Name	Remark	Final remark
1	9250601010	Mr. SURYAPAL SINGH ASWAL	अनर्ह– अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता उपश्रेणी का दावा किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में ओ0एल0 तथा डी0 डब्लू0 दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य किया गया है। अभ्यर्थी उक्त दिव्यांगता श्रेणी से सम्बन्धित नहीं है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2024 तक 47 वर्ष 01 माह 15 दिवस आगणित हो रही है एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिव्यांगता श्रेणी का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन किया गया है। चूंकि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट के उपरान्त भी निर्धारित आयुसीमा धारित नहीं करते है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।	अभ्यर्थी द्वारा मेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय/उत्तराखण्ड शासन/सरकार द्वारा निर्धारित आयुसीमा में छूट दी जाती है तो अभ्यर्थी को आयुसीमा में छूट प्रदान की जाए। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासन द्वारा आयु सीमा में अन्य किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये अनर्हता के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय को यथावत रखा जाता है।
2	9250601047	Mr. GAURAV CHANDRA SATI	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2025 को नोटराईज शपथ पत्र के माध्यम से अपना चयन का दावा निरस्त किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अभ्यर्थी के अनुरोध पर अभ्यर्थी का चयन का दावा निरस्त किया जाता है तथा भविष्य में इनका प्रश्नगत पद हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखा जाता है।
3	9250601120	Mr. RANJEET SINGH	अभ्यर्थी द्वरा प्रस्तुत दिव्यांगता श्रेणी प्रमाण पत्र में बायें हाथ में दिव्यांगता श्रेणी का उल्लेख किया गया प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 13–एफ में उल्लेख है कि दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार मात्र ओ0एल. (एक पैर प्रभावित) तथा डी0डब्लू0 (बौनापन) दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत फार्मासिस्ट पद हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। चूंकि अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2024 तक 42 वर्ष 06 माह 24 दिवस आगणित हो रही है एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया गया है एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु अधिकतम आयुसीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित अधिकतम आयुसीमा धारित नहीं करते है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखा जाता है।

फार्मासिस्ट (भेषज) परीक्षा 2024 (चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत)
प्रत्यावेदन निस्तारण तालिका

S.No.	Roll Number	Candidate Name	Remark	Final remark
4	9250601159	Mr. ASHISH BISHT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित (प्रमाण पत्र संख्या 1160) अंकित किया गया है। अभिलेख सत्यापन के संज्ञान में आया कि राज्य आन्दोलनकारी सम्मान परिचय पत्र संख्या– 1160 श्रीमती कमता बिष्ट हेतु निर्गत किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के सम्बन्ध में राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित प्रमाण पत्र दिनांक 23 जून 2025 को निर्गत किया गया हुआ उपलब्ध कराया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23–ए में उल्लिखित है है कि "आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक वैध अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।" तथा नियम 23 बी में उल्लेख किया गया है कि "अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो।" चूंकि अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक स्वय से सम्बन्धित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित प्रमाण पत्र धारित नहीं करते है तथा प्रस्तुत दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त का है जो की नियमानुसार स्वीकार्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उनकी माता श्रीमती कमला बिष्ट के चिन्हीत राज्य आन्दोलनकारी, परिचय पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा साथ ही दिनांक 23 जून 2025 को निर्गत अभ्यर्थी के स्वयं का राज्य आन्दोलनकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23–ए में उल्लिखित है है कि "आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक वैध अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।" तथा नियम 23 बी में उल्लेख किया गया है कि "अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।" चूंकि अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक स्वय से सम्बन्धित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित प्रमाण पत्र धारित नहीं करते है तथा प्रस्तुत दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त का है जो की नियमानुसार स्वीकार्य नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय "अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा" को यथावत रखा जाता है एवं अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

फार्मासिस्ट (भेषज) परीक्षा 2024 (चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत)
प्रत्यावेदन निस्तारण तालिका

S.No.	Roll Number	Candidate Name	Remark	Final remark
5	9250601241	Ms. KM NEHA	अनर्ह– अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम– 5 में उल्लेख है कि "कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिक (फार्मेसी) का डिप्लोमा रखता हो तथा उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल/उत्तराखण्ड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में पंजीकृत हो।" चूंकि अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तकत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल/उत्तराखण्ड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में पंजीकृत नहीं है अतः अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
6	9250601244	Mr. BAHADUR SINGH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का दावा किया गया है। अभ्यर्थी लेवल–6 के पद हेतु निर्धारित प्रतियोगिता में प्रतिभागी या पदक विजेता नहीं है। अतः अभ्यर्थी को कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखा जाता है।
7	9250601245	Mr. PIYUSH RAJ	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का दावा किया गया है। अभ्यर्थी लेवल–6 के पद हेतु निर्धारित प्रतियोगिता में प्रतिभागी या पदक विजेता नहीं है। अतः अभ्यर्थी को कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखा जाता है।
8	9250601246	Ms. SHIKHA	अभ्यर्थी द्वारा ऑन्लाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी पूर्व सैनिक उपश्रेणी से सम्बन्धित नहीं है। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखा जाता है।
9	9250601247	Mr. SHAILDEEP SINGH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का दावा किया गया है। अभ्यर्थी लेवल–6 के पद हेतु निर्धारित प्रतियोगिता में प्रतिभागी या पदक विजेता नहीं है। अतः अभ्यर्थी को कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखा जाता है।
10	9250601250	Ms. NEEMA NEGI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का दावा किया गया है। अभ्यर्थी लेवल–6 के पद हेतु निर्धारित प्रतियोगिता में प्रतिभागी या पदक विजेता नहीं है। अतः अभ्यर्थी को कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखा जाता है।